



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आषाढ़ 1940 (श0)

(सं0 पटना 635) पटना, मंगलवार, 3 जुलाई 2018

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

3 जुलाई 2018

सं० 17—दाखिल खारिज (कार्यशाला)—240/2017—487(9)/रा0—राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बिहार दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा-3 एवं बिहार दाखिल खारिज (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-3 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 02.07.2018 से राज्य के निम्नलिखित जिलों के सामने अंकित अंचलों में आम नागरिकों/रैयतों की सुविधा, राज्यहित एवं दाखिल खारिज वादों के निष्पादन में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु दाखिल खारिज याचिकाएं ऑन-लाईन प्राप्त करने एवं उसका निष्पादन भी ऑन-लाईन किये जाने की व्यवस्था की गयी है :-

क्र०	जिला का नाम	अंचल का नाम
1	2	3
1	अररिया	1. जोकीहाट, 2. पलासी, 3. सिकटी,
2	औरंगाबाद	1. बारुण, 2. दाउदनगर, 3. देव, 4. गोह, 5. हसपुरा, 6. कुटुम्बा, 7. ओबरा
3	बांका	1. बाराहाट, 2. बेलहर, 3. धोरैया, 4. फुलीडुमर, 5. रजौन, 6. शम्भुगंज
4	भागलपुर	1. नारायणपुर, 2. नवगछिया, 3. शाहकुंड
5	बक्सर	1. केशठ

क्र०	जिला का नाम	अंचल का नाम
1	2	3
6	दरभंगा	1. बेनीपुर, 2. गौराबरौम, 3. धनश्यामपुर, 4. किरतपुर
7	पू० चम्पारण	1. अदापुर, 2. बनकटवा, 3. चकिया, 4. छौड़ादानो, 5. ढाका, 6. मधुबन, 7. मेहसी, 8. पटही
8	गया	1. अतरी, 2. बराचट्टी, 3. बथानी, 4. बेलागंज, 5. बोध गया, 6. फतेहपुर, 7. गुरुआ, 8. खिजरसराय, 9. कोच, 10. परैया
9	गोपालगंज	1. भोरे, 2. विजयपुर, 3. हथुआ, 4. कुचायकोट, 5. सिधबलिया
10	कैमूर	1. भगवानपुर, 2. दुर्गावती, 3. कुदरा, 4. नुआव, 5. रामगढ,
11	कटिहार	1. दंडखोरा, 2. मनसाही
12	खगड़िया	1. अलौली
13	नालन्दा	1. चण्डी, 2. एकंगरसराय, 3. गिरियक, 4. हरनौत, 5. हिलसा, 6. ईस्लामपुर, 7. परबलपुर 8. रहुई, 9. सिलौव
14	नवादा	1. गोविन्दपुर, 2. मेसकौर, 3. नरहट, 4. रजौली, 5. सिरदला
15	पटना	1. बिहटा, 2. बिक्रम, 3. फतुहा, 4. नौबतपुर, 5. पटना सदर
16	रोहतास	1. बिक्रमगंज, 2. काराकाट, 3. नोखा, 4. शिवसागर, 5. सूर्यपूरा, 6. तिलौथु
17	समस्तीपुर	1. खानपुर
18	सारण	1. एकमा, 2. लहलादपुर, 3. मशरख, 4. नगरा, 5. रिविलगंज
19	शेखपुरा	1. घाटकुसुम्भा
20	शिवहर	1. तरियानी
21	सीतामढ़ी	1. बैरगनिया, 2. मेजरगंज, 3. सोनबरसा, 4. सुप्पी
22	सीवान	1. बसंतपुर, 2. गोरियाकोठी, 3. जिरादेई
23	सुपौल	1. मरौना, 2. निर्मली, 3. सरायगढ भापटियाही
24	वैशाली	1. भागवानपुर, 2. देसरी, 3. जनदाहा, 4. लालगंज, 5. महुआ, 6. पटेढी बेलसंड
25	प० चम्पारण	1. बगहा-1, 2. बैरिया, 3. भितहा, 4. चनपटिया, 5. गौनाहा, 6. जोगापट्टी, 7. मधुबनी, 8. मैनाटार, 9. मझौलिया, 10. पिपरासी, 11. सिकटा
26	जहानाबाद	1. रतनीफरीदपुर,
27	मधुबनी	1. बेनीपट्टी, 2. मधेपुर

2. उपरोक्त सभी 118 अंचलों में दाखिल खारिज वादों का ऑन-लाईन निष्पादन दिनांक-02.07.2018 से किया जाएगा। उक्त अंचलों में दिनांक-02.07.2018 से ऑफ-लाईन पद्धति से दाखिल खारिज वादों का निष्पादन नहीं किया जाएगा।

3. उक्त सभी 118 ऑन-लाईन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन से संबंधित अंचलों में रैयतों के द्वारा विहित प्रपत्र-1“क” में हित अर्जित करने के साक्ष्य के साथ दाखिल खारिज याचिका अंचल अधिकारी को कार्यालय में अथवा राजस्व शिविर न्यायालय में ऑन-लाईन समर्पित किया जाएगा, जिसकी प्राप्ति रसीद भी उन्हें प्रपत्र-IV में तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अतिरिक्त रैयतों द्वारा दाखिल खारिज याचिका किसी भी स्थल से ऑन-लाईन समर्पित किया जाएगा, जिन्हें भी प्रपत्र-IV में प्राप्ति रसीद उपलब्ध होगा। इस प्रकार से प्राप्त ऑन-लाईन दाखिल खारिज याचिकाओं से संबंधित जांच प्रतिवेदन हल्का कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी से ऑन-लाईन दाखिल खारिज सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा एवं प्राप्त जांच प्रतिवेदनों की समीक्षोपरान्त अंचल अधिकारी ऑन-लाईन दाखिल खारिज सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही अपना आदेश पारित करेंगे तथा Digitally हस्ताक्षरित शुद्धि-पत्र प्रपत्र-XIV में ऑन-लाईन दाखिल खारिज पोर्टल के माध्यम से याचिकाआकर्ता को सुलभ करावेंगे अथवा याचिकाकर्ताओं द्वारा अंचल अधिकारी के Digitally हस्ताक्षरित शुद्धि-पत्र अंचल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा। दाखिल खारिज वादों के निष्पादन एवं शुद्धि-पत्र निर्गत किये जाने के पश्चात् पुरानी जमाबंदी से दाखिल खारिज की स्वीकृति के आलोक में रकवा को घटाया जाएगा एवं ऑनलाईन विधि से ही नई जमाबंदी प्रारम्भ की जाएगी।

4. राज्य के जिन उपर्युक्त 118 अंचलों में ऑन-लाईन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है, उनसे संबंधित सभी जमाबंदी पंजियों का डिजिटাইजेशन पूर्ण कर, उसे विभागीय ऑनलाईन दाखिल खारिज के वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

5. दाखिल खारिज वादों के निष्पादन की ऑन-लाईन प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने की नयी व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने पर आम लोगों को अंचल कार्यालय जाकर दाखिल खारिज याचिका समर्पित किये जाने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। दाखिल खारिज याचिका किसी भी स्थल से ऑन-लाईन समर्पित किया जा सकेगा, साथ ही दाखिल खारिज निष्पादन की सम्पूर्ण गतिविधि को याचिकाकर्ता एवं आम लोग दाखिल खारिज पोर्टल (www.land.bihar.gov.in) पर देख सकते हैं, जिससे दाखिल खारिज वादों के निष्पादन में पारदर्शिता बनाये रखा जाएगा। दाखिल खारिज के निष्पादन के क्रम में हर गतिविधि की जानकारी याचिकाकर्ता को उनके मोबाईल पर मैसेज के रूप में प्राप्त होता रहेगा, साथ ही दाखिल खारिज के निष्पादन के पश्चात् शुद्धि-पत्र भी आवेदक दाखिल खारिज पोर्टल (www.land.bihar.gov.in) से Download कर प्राप्त कर सकेंगे, साथ ही दाखिल खारिज वादों की स्वीकृति के पश्चात् याचिकाकर्ता के नाम स्वतः जमाबंदी पंजी में जमाबंदी प्रारम्भ हो जाएगी।

विश्वासभाजन
ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 635-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>